INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 2 | April – June 2025

बाल उत्पीड़न के मामलों में विधिक एवं मानवाधिकार संरक्षण तंत्र की प्रभावशीलता : दुर्ग जिले का विश्लेषणात्मक अध्ययन

[1]आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, [2]*डॉ. जय प्रकाश श्रीवास्तव (सहायक प्रोफेसर)*
[1]शोधार्थी,[2]*शोध निर्देशक*
[1-2] संकाय : विधि, *भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)*

सारांश

बाल उत्पीड़न वर्तमान समय की एक गंभीर सामाजिक, विधिक एवं मानवाधिकार संबंधी समस्या है, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य दुर्ग जिले में बाल उत्पीड़न से संबंधित मामलों में विधिक एवं मानवाधिकार संरक्षण तंत्र की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना है। अध्ययन में विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी.यू.), बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.), जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.) एवं वन स्टॉप सेंटर (ओ.एस.सी.) की भूमिका का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन हेतु 160 उत्तरदाताओं का चयन किया गया तथा प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत एवं वर्णनात्मक पद्धति द्वारा किया गया। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अधिकांश उत्तरदाता बाल संरक्षण से संबंधित संस्थाओं की कार्यप्रणाली एवं विधिक संरक्षण तंत्र को प्रभावी मानते हैं। परिणामों से यह भी स्पष्ट हुआ कि संस्थागत समन्वय बाल अधिकारों की रक्षा एवं न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य शब्द: बाल उत्पीड़न, मानवाधिकार, पॉक्सो अधिनियम, बाल संरक्षण, विधिक संरक्षण।

भूमिका

बच्चे किसी भी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होते हैं। उनका सुरक्षित एवं सम्मानजनक विकास किसी भी लोकतांत्रिक समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भारतीय संविधान ने बच्चों के संरक्षण एवं विकास के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त पॉक्सो अधिनियम, 2012 तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 बच्चों को विशेष विधिक संरक्षण प्रदान करते हैं। इसके बावजूद बाल उत्पीड़न की घटनाएँ निरंतर सामने आ रही हैं, जो मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का संकेत देती हैं।

संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

सैनी (2013) ने भारत में बाल उत्पीड़न एवं बाल उपेक्षा की बढ़ती घटनाओं का व्यापक अध्ययन किया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के विरुद्ध होने वाले विभिन्न प्रकार के शोषण, हिंसा, उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार की प्रकृति, कारणों

तथा उनके सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करना था। शोधकर्ता ने विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनों, राष्ट्रीय सर्वेक्षणों तथा बाल संरक्षण से संबंधित संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों का विश्लेषण किया। अध्ययन में यह पाया गया कि भारत में बड़ी संख्या में बच्चे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा लैंगिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, किन्तु अधिकांश मामले सामाजिक कलंक, भय एवं जागरूकता के अभाव के कारण रिपोर्ट नहीं हो पाते। शोधकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि गरीबी, अशिक्षा, पारिवारिक विघटन, सामाजिक असमानता तथा बाल अधिकारों के प्रति अपर्याप्त जागरूकता बाल उत्पीड़न की समस्या को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक हैं।

यादव एवं सहयोगियों (2014) ने यौन अपराधों के पीड़ितों, विशेषकर महिला एवं बाल पीड़ितों के पुनर्वास, क्षतिपूर्ति तथा न्यायिक अधिकारों का अध्ययन किया। इस शोध का उद्देश्य यह विश्लेषण करना था कि अपराध पीड़ितों को उपलब्ध कराई जाने वाली पुनर्वासात्मक एवं क्षतिपूरक व्यवस्थाएँ किस सीमा तक उनके सामाजिक, मानसिक एवं आर्थिक पुनर्स्थापन में सहायक सिद्ध होती हैं। अध्ययन में भारतीय संविधान, आपराधिक न्याय प्रणाली, न्यायालयीन निर्णयों तथा पीड़ित अधिकारों से संबंधित विधिक प्रावधानों का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि अपराध के पश्चात् पीड़ितों को केवल न्यायिक निर्णय ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक परामर्श, सामाजिक सहयोग, आर्थिक सहायता तथा पुनर्वास सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। अध्ययन ने यह भी इंगित किया कि अनेक मामलों में पीड़ितों को समय पर क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पातीं, जिससे उनके पुनर्स्थापन की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

जिया-उल-मुस्तफा अंसारी (2016) ने भारतीय विक्टिमोलॉजी के संदर्भ में बाल पीड़ितों की स्थिति का अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य भारतीय न्याय प्रणाली में बाल पीड़ितों के अधिकारों, विधिक संरक्षण, पुनर्वास सुविधाओं तथा न्यायिक प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। शोधकर्ता ने बाल उत्पीड़न से संबंधित विधिक प्रावधानों, न्यायालयीन निर्णयों, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों तथा बाल अधिकार अभिसमयों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि यद्यपि भारत में बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु अनेक कानून एवं नीतियाँ लागू हैं, तथापि उनके प्रभावी क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। विशेष रूप से बाल पीड़ितों के लिए न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता, सामाजिक दबाव, पुनर्वास सेवाओं की सीमित उपलब्धता तथा संस्थागत समन्वय की कमी प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आई।

अध्ययन के उद्देश्य

1. बाल उत्पीड़न के मामलों में विधिक एवं मानवाधिकार संरक्षण तंत्र की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
2. बाल संरक्षण संस्थाओं की भूमिका एवं कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना।
3. संस्थागत समन्वय एवं न्यायिक प्रक्रिया के मध्य संबंध का विश्लेषण करना।

परिकल्पना

दुर्ग जिले में बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में कानूनी एवं मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप कार्यवाही की

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 2 | April – June 2025

जाती है तथा सभी संबंधित संस्थाएँ सक्रिय एवं समन्वित रूप से कार्य करती हैं।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में दुर्ग जिले के दुर्ग, धमधा एवं पाटन क्षेत्रों का चयन किया गया। अध्ययन हेतु 160 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया।

सारणी 1

बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में कानूनी एवं मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप कार्यवाही तथा संस्थागत समन्वय के संबंध में उत्तरदाताओं का अभिमत

उत्तरदाताओं का अभिमत	**दुर्ग**		**धमधा**		**पाटन**		**कुल**	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
पूर्णतः सहमत	28	51.9	26	45.6	20	40.8	74	46.3
सहमत	18	33.3	22	38.6	21	42.9	61	38.1
असहमत	6	11.1	7	12.3	6	12.2	19	11.9
पूर्णतः असहमत	2	3.7	2	3.5	2	4.1	6	3.7
कुल	**54**	**100.0**	**57**	**100.0**	**49**	**100.0**	**160**	**100.0**

स्रोत : क्षेत्रीय सर्वेक्षण

व्याख्या

सारणी 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अध्ययन में सम्मिलित कुल 160 उत्तरदाताओं में से 74 उत्तरदाता (46.3 प्रतिशत) पूर्णतः सहमत तथा 61 उत्तरदाता (38.1 प्रतिशत) सहमत पाए गए कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में कानूनी एवं मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है तथा संबंधित संस्थाएँ सक्रिय एवं समन्वित रूप से कार्य करती हैं। इस प्रकार कुल 135 उत्तरदाता (84.4 प्रतिशत) ने इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की।

क्षेत्रवार विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दुर्ग क्षेत्र में 51.9 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः सहमत पाए गए, जबकि धमधा क्षेत्र में यह प्रतिशत 45.6 तथा पाटन क्षेत्र में 40.8 रहा। सहमत श्रेणी में पाटन क्षेत्र (42.9 प्रतिशत) का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया। दूसरी ओर केवल 19 उत्तरदाता (11.9 प्रतिशत) असहमत तथा 6 उत्तरदाता (3.7 प्रतिशत) पूर्णतः असहमत पाए गए।

निष्कर्ष

उपरोक्त सारणी एवं उसके विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में बाल संरक्षण से संबंधित विधिक एवं मानवाधिकार आधारित व्यवस्थाओं के प्रति उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण सकारात्मक है। अधिकांश उत्तरदाताओं का मत है कि विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा अन्य संबंधित संस्थाएँ बाल उत्पीड़न के मामलों में सक्रिय एवं समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं। अतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दुर्ग जिले में बाल संरक्षण संबंधी विधिक एवं मानवाधिकार तंत्र अपेक्षाकृत प्रभावी रूप से कार्यरत है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दुर्ग जिले में बाल संरक्षण से संबंधित विधिक एवं मानवाधिकार तंत्र प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। संस्थागत समन्वय, विधिक जागरूकता तथा बाल संरक्षण सेवाओं की उपलब्धता बाल अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यद्यपि कुछ चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, तथापि समग्र रूप से बाल संरक्षण व्यवस्था संतोषजनक पाई गई।

सुझाव

- बाल अधिकारों संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए।
- पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- संस्थागत समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए।
- पीड़ित पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता में सुधार किया जाए।

संदर्भ

- अंसारी, जिया-उल-मुस्तफा (2016). *भारत में विक्टिमोलॉजी (पीड़ित-विज्ञान), विशेष रूप से बाल पीड़ितों के संदर्भ में।*
- यादव, मुकेश एवं अन्य (2014). *बलात्कार पीड़ितों के लिए मुआवज़ा और पुनर्वास एक संवैधानिक अधिकार।*
- सैनी, नरेंद्र (2013). *भारत में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और उनकी उपेक्षा: कार्रवाई का समय।*
- पॉक्सो अधिनियम, 2012.
- भारत का संविधान, 1950.
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015.